न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू , जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 240/2018 निर्णय दिनांक :– 28-11-19

उनवान

1. बिरदी चंद पुत्र भागीरथ, जाति मीणा निवासी जगदीश पुरा तहसील कोटखावदा जिला जयपुर, राजस्थान।
2. नानगराम पुत्र भागीरथ, जाति मीणा निवासी जगदीशपुरा तहसील कोटखावदा जिला जयपुर राजस्थान।

––वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जिला जयपुर।.

––प्रतिवादी

<u>प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र इस प्रकार पेश किया कि ग्राम जगदीशपुरा, पटवार हल्का खेडारानिवास, भू0अ0नि0 क्षेत्र देहलाल तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर राजस्थान में सम्वत 2004 में

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

साबिक खसरा नम्बर 309, 310, 311, 312, 313, 326, 327, 331, 332, 334 कुल किता 10 कुल रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा की भूमि मन्ना व सांवता पिसरान हीरा, हरबक्श वल्द भूरा, काना व गेन्दा पिसरान किशना, डालू वल्द खुशला, मोहरया वल्द देवा, मंगल वल्द हरदेव, जीवन वल्द डूगा, गोपाल वल्द संतोखा, रामबक्श वल्दा रामला, भागीरथ वल्द नारायण कौम मीना, सा0 देह जो कि हमारे पिताजी एवं अन्य सहखातेदारों के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड में अंकित व स्थित है। जमाबंदी संवत 2014 में उक्त खसरा नम्बर 311, 313, 331, 334 के नये नम्बरान, 113, 114 बनते हुये उक्त भूमि कि खातेदारी मन्ना व सांवता पुत्र हीरा, हरबक्श पुत्र भूरा, काना व गेन्दा पुत्र किशना डालू वल्द खुशला मोहरया वल्द देवा मंगल वल्द हरदेव जीवन वल्द डुगा गोपाल वल्द सन्तोखा, रामबक्श वल्द रामला भागीरथ वल्द नारायण कौम मीना सा0 देह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड में अंकित व स्थित है। जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2032 में उक्त खसरा न0 114 रकबा 1 बीघा 15 बीस्वा, रामला, भागीरथ पुत्र नारायण, जाति मीना, सा. देह के नाम तथा खसरा न0 113 रकबा 4 बीस्वा गै.मु.चाह रामला, भागीरथ पुत्र नारायण व जमाबन्दी अनुसार अन्य खातेदारों के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड में अंकित व स्थित है। तत्पश्चात भू. प्रबन्ध विभाग द्वारा एकीकरण के पश्चात ग्राम जगदीशपुरा, पटवार हल्का खेडारानिवास, भूअभि. निक्षेत्र

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

देहलाला, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर, राज0 उक्त खसरा नम्बरान 113 रकबा 4 बीस्वा का नये खसरा न0 598 रकबा 0.05 है0, रामला, भागीरथ पि नारायण व मु. बरधी बेवा जीवन व रामनाथ पु. मंगला हि. 1/2 हि.ब. शंकर, प्रहलाद पि0 डालू, हि0 1/12, काल्या पुत्र किशना, हि0 1/12, जगदीश, जयदेव पि0 हरबक्ष, हि0 1/12 हि0ब0, पाचू, रामपाल, रामचन्द्र पि0 सांवता, ग्यारसा पुत्र मन्ना हि 1/4 हि.ब. जाति मीना, सा देह खातेदार के नाम तथा खसरा न0 114 रकबा 1 बीधा 15 बीस्वा के नये खसरा न0 577 रकबा 0.24 है, खसरा न0 596 रकबा 0.20 है0, रामला, भागीरथ पुत्र नारायण, जाति मीना, सा0– देह0 जो कि भागीरथ पुत्र नारायण हम वादीगणों के पिता के नाम वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज राजस्व रिकार्ड में अंकित व स्थित है। ग्राम जगदीशपुरा, पटवार हल्का खेडारानिवास, भू0अभि0नि0 क्षेत्र देहलाला, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर, राज0 में आराजी खाता संख्या 53 में खसरा न0 577 रकबा 0.24 है0 खसरा न0 596 रकबा 0.20 है0, कुल किता 2 रकबा 0.44 है0 की तथा खाता संख्या 54 में खसरा न0 598 रकबा 0.05 है0, कुल किता 1 रकबा 0.05 है0 में हिस्सा 1/4 की खातेदारी भूमि हम वादीगणों के पिता के नाम वर्तमान जमाबन्दी. में दर्ज राजस्व रिकार्ड में अंकित व स्थित है। उक्त जमाबन्दीयों में भागीरथ पुत्र नारायण का नाम सम्वत् 2004 से लेकर जमाबन्दी में

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

सम्वत 2014 तक वल्दियत सही चली आ रही है। है। मगर उक्त सम्वत 2014 के पश्चात जमाबन्दी तहरीर करते समय राजस्व विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारीगणों से उक्त हमारें पिताजी का नाम भागीरथ पुत्र नारायण की वल्दियत सहवन से रामला, भागीरथ पुत्र नारायण का अंकन कर दिया दिया। जो कि सहवन से हुई गलती है जो सुधार किये जाने योग्य है। क्योकि उक्त रामला पुत्र भागीरथ की वल्दियत ही अलग है। यह है कि हम वादीगणों के पिता की मृत्यु हो गई है। उक्त नाम की वल्दियत गलत होने के कारण राजस्व रिकार्ड में उक्त खाते का विरासत का नामान्त्करण नहीं खुल सका है तथा अन्य खातों में हमारे पिता की विरासत हमारें नाम राजस्व रिकार्ड में आ चुकी है। हम वादीगणों के लिये यह आवश्यक हो गया है कि उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में उक्त रामला के नाम को लौपित किया जाकर उक्त वल्दियत भागीरथ पुत्र नारायण के नाम सही एवं शुद्द माननीय न्यायालय से करवाया जाना आवश्यक हो गया है। सरकार भूमिधारी है। जो राजस्व रिकार्ड का रखरखाव करते है जो आवश्यक फरीक मुकदमा होने के कारण उनकों प्रतिवादी बनाया गया है। मान्य न्यायालय को प्रार्थना पत्र सुनने व तय करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र श्रीमान के न्यायालय में पेश कर निवेदन है कि उक्त रामला भागीरथ पुत्र नारायण की जगह रामला का लोपित कर भागीरथ पुत्र नारायण

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

सही एवं शुद्ध करने के आदेश प्रदान करते हुये राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे। प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गयी व जवाब सरकार लिया गया तो पैरोकार सरकार ने जवाब सरकार इस प्रकार पेश किया गया कि बिन्दू संख्या एक स्वीकार है। बिन्दू संख्या दो प्रार्थीगण स्वयं सिद्ध करें। बिन्दू संख्या तीन आंशिक रूप से स्वीकार है। शेष तथ्य वादी स्वयं सिद्ध करे। बिन्दू संख्या चार स्वीकार है। बिन्दू संख्या पांच वादी स्वयं सिद्ध करें। बिन्दू संख्या छःरू स्वीकार है। बिन्दू संख्या सात वादी स्वयं सिद्ध करें। बिन्दू संख्या आठ वादी स्वयं सिद्ध करें। बिन्दू संख्या 9 लगायत 12 न्यायालय से संबंधित है। जवाब सरकार सादर प्रेषित है। जवाब सरकार पेश होने पर बहस दावा वकील वादी की सुनी गयी तो वकील वादी ने दावे का जवाब दावा सरकार व प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार दावा डिक्री किया जावे। वादी ने दावे का समर्थन में ग्राम जगदीशपुरा की जमाबंदी संवत 2004 से 2023 2014 मिलान क्षेत्रफल भूमि एकीकरण खतौनी 2029–2032, 2017 भूमि एकीकरण की जमाबंदी संवत 2029 मिलान क्षेत्रफल भू0 प्रबन्धन विभाग, जमाबंदी आधार वर्ष 2053 जमाबंदी ग्राम जगदीश पुत्र की संवत 2070–73 के खाता संख्या 53, 33 के दस्तावेज बतौर सबूत पेश किये गये। वकील वादी की बहस पर गौर किया व

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज एवं जवाब सरकार का परीक्षण किया गया तो वादग्रस्त भूमि वादीगण के पिता एवं अन्य सहखातेदारान के नाम दर्ज रिकार्ड है जो सजरा खानदान अनुसार है। जमाबंदी संवत 2014 में खसरा नम्बर 311, 313, 331 334 के नये नम्बरान 113, 114 बने उक्त भूमि की खातेदारी मन्ना व सांवता पुत्र हीरा हरबक्श पुत्र भूरा, काना व गैन्दा पुत्र किशना, डालू पुत्र खुशला, मोहरया पुत्र देवा, मंगल पुत्र हरदेव, जीवन पुत्र डगा गोपाल पुत्र सन्तोख, रामबक्श पुत्र रामला भागीरथ पुत्र नारायण सा0 देह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड था। जमाबंदी संवत 2029–2032 में उक्त खसरा नम्बर 114 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा रामला भागीरथ पुत्रान नारायण मीना सा0 देह नाम व खसरा नम्बर 113 रकबा 4 बिस्वा रामला भागीरथ पुत्र नारायण जमाबंदी अनुसार दर्ज है। जो भू0 प्रबन्ध विभाग द्वारा एकीकरण के पश्चात खसरा नम्बर 113 के नये नंबर 5. 98 रकबा 0.05 है0 रामला भागीरथ पिता नारायण व बरधी बेवा जीवन व रामनाथ पुत्र मंगला हि0 1/2 शंकर प्रहलाद पिता डालू हिस्सा 1/12 कल्या किशना हि 1/12 जगदीश जयदेव पिता हरबक्स हिस्सा 1/12 पांचू रामपाल रामचंद्र पिता सांवता ग्यारसा पुत्र मन्ना हिस्सा 1/4 के नाम तथा खसरा नम्बर 114 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा के नये नम्बर 577 रकबा 0.24 है0 596 रकबा 0.20 हे0 रामला भागीरथ पुत्र नारायण मीना जो कि भागीरथ पुत्र नारायण

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

वादीगण के पिता के नाम दर्ज है। खसरा नम्बर 577, 596 किता 2 रबा 0.44 हे0 खाता संख्या 598 रकबा 0.05 हे0 हिस्सा 1/4 की खातेदारी वादीगण के पिता के नाम दर्ज रिकार्ड थी। उक्त जमाबंदियों में भागीरथ पुत्र नारायण का नाम संवत 2004 से लेकर 2014 तक वल्दियत सही थी मगर संवत 2014 के पश्चात जमाबन्दी तहरीर करते समय राजस्व कर्मचारियों ने वादीगण के पिता का नाम भागीरथ पुत्र नारायण की वल्दियत सहवन से रामला भागीरथ पुत्र नारायण गलत अंकन कर दिया गया जो प्रस्तुत दस्तावेजात एवं जवाब सरकार अनुसार शुद्ध किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र 136 के अन्तर्गत स्वीकार किया जाकर ग्राम जगदीशपुरा प. ह. खेडारानीवास तहसील कोटखावदा की जमबांदी संवत 2070–73 के खाता संख्या 53 व 54 के खसरा नम्बर 577 रकबा 0.24 है0 596 रकबा 0.20 है0 598 रकबा 0.05 है0 भूमि में अंकित वादीगण के पिता का नाम रामला भागीरथ पुत्र नारायण की जगह रामला का नाम लोपित किया जाकर भागीरथ पुत्र नारायण का नाम सही दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में भागीरथ पुत्र नारायण दर्ज किया जावे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2020.01.17 15:26:26 IST
Reason: SelfAttested
Location: